ACM आमेर क्र.-3

फर्द अहकाम

उमेश बनाम ग्राम पंचायत (आमेर)

यालय

या 37/22 TA

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/09/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वक उप। उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस पुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 19/9/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
19/09/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व फ. उप.। प्रार्थी के पक्ष में अपूरणीय क्षति, सुविधा का संतुलन, मामला प्रथम दृष्टया साबित नहीं होने से प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 37/2022

उमेश पुत्र श्री दौलत राम शर्मा, पौत्र कालूराम शर्मा, निवासी प्लाट नम्बर 43, गणेश नगर, नाडी का फाटक, बैनाड रोड, झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर।

...प्रार्थी/वादी

बनाम

1. ग्राग पंचायत जयरामपुरा जरिये सरपंच श्री जगदीश निठारवाल, पंचायत समिति जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. पंचायत समिति जालसू जरिये विकास अधिकारी जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिए उप–तहसीलदार जालसू, उप–तहसील जालसू, तहत तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री संदीप शर्मा– अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) श्री बंशीधर जाट– अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 19.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी/वादी ने उपरोक्त उनवानी वाद एवं आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा सुद्रढ एवं वास्तविक तथ्यों के आधार पर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता प्राप्त होने की पूर्ण आशा एंव विश्वास है। 2–यह कि ग्राम जयरामपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा, भू.अ. नि.क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित साबिका खसरा नम्बर 747/1 रकबा 8 बीघा भूमि को दिनांक 25–6–1969 को तहसीलदार आमेर ने राजस्थान भू. राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1957 के तहत तथा साबिका खसरा नम्बर 747/6/1 रकबा 2 बीघा भूमि को दिनांक 26–5–1973 को आवंटन सलाहकार समिति की सिफ़ारिश पर उपखण्ड अधिकारी आमेर ने राजस्थान भू. राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रार्थी के प्रपितामह स्व. श्री रामगौपाल पुत्र स्वर्गीय श्री मालीराम शर्मा को आवंटित किया जाकर आवंटि को भूमि का कब्जा संभलाया गया जिस पर प्रार्थी के प्रपितामह ने कब्जा संभाल कर काश्त करना प्रारम्भ कर दिया तथा कालान्तर में अपने नाम से विद्युत सम्बंध प्राप्त कर निरन्तर एवं निबबंध रूप से दौनो फसलें काश्त करने लगे। प्रार्थी के प्रपितामह स्व. श्री रामगौपाल पुत्र मालीराम शर्मा ने कालान्तर में अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:38:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

स्व:अर्जित आवंटित भूमि साविका खसरा नम्बर 747/1 रकबा 8 बीघा एवं 747/6/1 रकबा 2 बीघा पर विद्युत सम्बंध प्राप्त करने के पश्चात अपने निवास हेतु मकान बनाया व सिंचाई हेतु पानी के होद का भी निर्माण करवा लिया तथा अनैक फलदार व छायादार वृक्ष भी उक्त भूमि पर लगाये जो विगत 50 वर्षों से उपरोक्त भूमि मौजूद हैं। प्रार्थी के प्रपितामह श्री रामगौपाल जी का स्वर्गवास हो गया और उनकी विरासत का नामान्तरकरण प्रार्थी के पितामह श्री कालूराम दत्तक पुत्र स्व. श्री प्रार्थी रामगौपाल शर्मा के नाम स्वीकृत किया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी श्री कालूराम दत्तक पुत्र रामगौपाल शर्मा के नाम समस्त राजस्व भू–अभिलेखो में अंकित कर दी गयी गयी जिस पर प्रार्थी अपने पितामह के साथ निरन्तर एवं निर्बाध रूप से साधिकार काबिज होकर काश्त करते एंव लगान राज्य सरकार को जमा करवाते चले आ रहे है। तहसील आमेर में वर्ष 1989 से 2009 के अवधि के लिए हुए भू–प्रबंधन के दौरान उपरोक्त वर्णित साबिका खसरा नम्बर का क्षेत्रफल मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करते हुए नवीन खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.24 हैक्टयेर, 1127 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1132 रकबा 0.95 हैक्टेयर, 1133 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 1134 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1135 रकबा 0.58 हैक्टेयर, 1136 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.53 हैक्टेयर कायम किए जाकर प्रार्थी के पितामह श्री कालूराम दत्तक पुत्र स्व. श्री प्रार्थी रामगौपाल शर्मा का नाम समस्त राजस्व भू–अभिलेखो में खातेदारी अंकित की गयी। प्रार्थी के प्रपितामह स्व० श्री रामगौपाल पुत्र स्व. श्री मालीराम शर्मा को विधिवत् आवंटित की गई उपरोक्त वर्णित भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 25–6–1969 एवं 26–5–1973 के विरूद्ध अप्रार्थी 3 ने कतई अवैध रूप से एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चर्तुथ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उक्त न्यायालय द्वारा कतई अवैध रूप से स्वीकार कर उक्त आवंटन निरस्त कर दिये। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चर्तुथ द्वारा पारित अवैध निर्णय दिनांक 22–9–2001 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसकी सूचना अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी अप्राथी संख्या 3 ने राजस्व भू–अभिलेखो में नोट अंकित करते हुए दिनांक 25–2–2002 को प्रार्थी के पितामह श्री कालूराम के नाम अंकित खातेदारी निरस्त कर भूमि वादग्रस्त को कतई अवैध रूप से सिवाय चक लगानी अंकित कर दिया। प्रार्थी के पितामह श्री कालूराम जी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने दिनांक 18–3–2002 को स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चर्तुथ द्वारा पारित अवैध आदेश दिनांक 22–9–2001 को निरस्त कर उपरोक्त वर्णित आवंटन आदेशों को बहाल फरमा कर विवादित भूमि को पुर्वानुसार प्रार्थी के पिता... के नाम अंकित रखे जाने की आज्ञा प्रसारित की जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 3 ने लगभग सात वर्ष पश्चात् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसे माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 3–10–2012 को निरस्त करते हुए न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के आदेश की पुष्टि करते हुए प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी को किये गये आवंटन आदेश को बहाल फरमा दिया जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण 3 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटिशन वर्ष

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:55 IST
Reason: SelfAttested

2014 से प्रस्तुत कर रखी है जिसे आज दिनांक तक ना तो एडमिट किया गया है, और ना ही किसी तरह का कोई स्थगन आदेश ही जारी किया हुआ है। प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2002 एवं माननीय मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–10–2012 की प्रति अप्रार्थी संख्या 3 के समक्ष पेश कर उक्त निर्णय की पालना में राजस्व भू–अभिलेखो में अंकित प्रविष्टि को दुरूस्त कर प्रार्थी के नाम खातेदारी बहाल किये जाने हेतु अनेको निवेदन किये गये किंतु फिर भी अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा आज दिनांक तक उक्त अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित विधिसम्मत् आदेशो की जानबुझ कर कोई पालना नही की और विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विरूद्ध विवादित भूमि को जबरन राजकीय भूमि के रूप में अंकित कर रखा है। प्रार्थी के पितामह स्व0 श्री कालूराम पुत्र स्वर्गीय श्री रामगौपाल शर्मा का दिनांक 12–7–2018 को स्वर्गवास हो चुका है, स्व0 श्री कालूराम जी ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति के सम्बंध मे पंजिकृत वसीयतनामा दिनांक 4–4–2018 को विधिवत् तहरीर एवं तकमील कर प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त एंव अपने नाम अंकित समस्त सम्पत्तियों का वसीयती नियुक्त किया है और इस प्रकार विवादित भूमि का प्रार्थी खातेदर काश्तकार हो चुका है तथा प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त की सुरक्षा एंव संरक्षा के साथ साथ समस्त खातेदारी एंव साम्पतिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत जयरामपुरा के वर्तमान सरपंच श्री जगदीश निठारवाल, प्रार्थी के परिवार से राजनितिक विद्वेष रखते हैं और उनकी प्रार्थी की पैतृक खातेदारी एंव कब्जे–काश्त की उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त जिसका विस्तृत विवरण आवेदन के पैरा संख्या 2 व 5 मे किया गया है से प्रार्थी को बेदखल करने उक्त भूमि की कृषि उपादेयता को नष्ट करने के कुत्सित् उद्देश्य से उसके कृषि योग्य स्वरूप को अकृषि कार्य हेतु परिवर्तित करने पर आमादा हैं और अपने इस अवैधानिक उद्देश्य की पूर्ती हेतु उन्होने अप्रार्थीगण 2 व 3 के प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष सहयोग से विवादित भूमि को राजकीय सम्पत्ति होना कहना प्रारम्भकर दिया है ओर वे अप्रार्थीगण 2 व 3 के सहयोग से विवादित भूमि पर कोई सार्वजनिक योजना का निर्माण करने पर आमादा हो रहे है। दिनांक 13–4–2022 को वादकरण उत्पन्न हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा की जा रही उक्त अवैध कार्यवाही के विरूद्ध प्रार्थी ने पुलिस थाना हरमाडा के समक्ष दिनांक 13–4–2022 को लिखित शिकायत पेश कर उक्त अवैध कार्यवाही को रूकवाने का निवेदन किया जिस पर पुलिस अधिकारीयों ने मौके पर जाकर अप्रार्थी द्वारा करवाये जा रहे अवैध निर्माण को रूकवा दिया किन्तु पुलिस के मौके से वापस जाने के उपरान्त अप्रार्थीगण 1 व 2 एवं उनके साथ अन्य लोगो ने प्रार्थी को पुनः रातो–रात निर्माण करने की धमकी दी इसलिए प्रार्थी को उपरोक्त भूमि विवादग्रस्त में निहित पैतृक खातेदारी अधिकारो तथा अपने कब्जे काश्त की भूमि को माननीय न्यायालय के समक्ष अपने खातेदारी अधिकारो की विधिवत् घोषणा करवाकर राजस्व रेकार्ड में हो रहे अवैध इन्द्राज दुरुस्त करवाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रार्थी अधिकारी हैं, कि वह अपने हकपूर्वाधिकारी को विधिवत् आवंटित की गई खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.24 हैक्टे., 1127 रकबा 0.05 हैक्टे., 1132 रकबा 0.95 1133 हैक्ट.,

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:55 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.02 हैक्टे. 1134 रकबा 0.01 1135 हैक्टे., रकबा 0.58 हैक्टे., 1136 रकवा 0.68 हैक्टे. कुल किता 7 कुल रकबा 2.53 हैक्टेयर जो कि अवैध रूप से अप्रार्थीगण 3 के नाम अंकित कर दी गयी है को माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18—3—2002 एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 3—10—2012 की पालना में पुनः समस्त राजस्व भू—अभिलेखो में अपने नाम अंकित करवाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वे उक्त दुरूस्ती हो जाने के पश्चात् प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करें तथा जबरन प्रार्थी को बेदखल कर अतिक्रमण करने, निर्माण करने की कोई कार्यवाही ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी ऐजेन्ट अथवा सर्वेन्ट से करवावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बावत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतू कई अवसर दिये गये परन्तु जवाब प्रार्थना पेश नहीं किया अतः दिनांक 28.07.2025 को जवाब का अवसर बंद किया गया।

विद्वान उभयपक्ष बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2022 को पेश हुआ है,

प्रार्थी ने ऐसे कोई तथ्य नहीं रखे जिससे यह साबित हो कि वर्तमान में प्रार्थी को गंभीर क्षति हो रही हो परन्तु यहा यह उल्लेखनिय है कि प्रार्थी ने इससे संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये की आराजी को खुर्द बुर्द किया जा रहा हो फलस्वरूप प्रार्थी ने प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति, एवं सुविधा का संतुलन साबित नहीं किया है, जैसा कि न्यायिक दृष्टांत RRT 2016(1) PAGE 113 में प्रतिपादित किया है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:55 IST
Reason: SelfAttested